

कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन भोपाल

(ई मेल— rcs.audit@mp.gov.in Phone no : 0755-2551098)

क्रमांक / 02 / अंके. / 2024 / 17

भोपाल, दिनांक 5-1-24

—आदेश—

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/अंकेक्षण/2/2023/178 भोपाल, दिनांक 13.03.2023 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (1) (ख) एवं नियम क्रमांक 50 के तहत निर्धारित संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म की योग्यता एवं अनुभव तथा वरिष्ठता मापदण्डों को यथासंशोधित किया जाकर प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए संपरीक्षक एवं संपरीक्षक फर्म की योग्यता एवं अनुभव तथा वरिष्ठता मापदण्डों का निर्धारण किया जाता है।

Aly

(आलोक कुमार सिंह)

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म0प्र0

क्रमांक / 02 / अंके. / 2024 / 17

भोपाल, दिनांक 5-1-24

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, सहकारिता, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सचिव, प्रोफेशनल डवलपमेंट कमेटी, दि इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया पोस्ट बॉक्स न. 7100 इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली।
5. प्रबंध संचालक, समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं समस्त मध्यप्रदेश।
7. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं समस्त मध्यप्रदेश।

संभागीय/जिला अधिकारी संबंधित सहकारी संस्थाओं को उपरोक्तानुसार संसूचित करें।

Aly

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएं म0प्र0

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58(1) (ख) एवं म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 50 के तहत कार्यालयीन पत्रांक अंके./2/..... दिनांक से सहकारी संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के वर्गीकरण तथा योग्यता एवं अनुभव के पत्रक -

परिशिष्ट-‘अ’

श्रेणी - क

संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म		योग्यता एवं अनुभव	संस्थाओं का विवरण
संपरीक्षक फर्म	1.पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. फर्म के वरिष्ठतम एफ.सी.ए. पार्टनर की फर्म से संबद्धता न्यूनतम 10 वर्ष होना अनिवार्य है। 2. फर्म में न्यूनतम 07 एफ.सी.ए./ए.सी.ए. फुल टाइम/अनन्य रूप से (Exclusively) पार्टनर होना चाहिये जिसमें से न्यूनतम 02 पार्टनर का एफ.सी.ए. होना आवश्यक है। 3. फर्म की अर्हता हेतु न्यूनतम 07 पार्टनर का फर्म से 02 वर्ष की संबद्धता होना अनिवार्य है। 4. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक एवं समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक। 2. 100 करोड़ से अधिक कारोबार (Business) करने वाली अन्य संस्थाएं।
संपरीक्षक -	विभागीय अंकेक्षक (प्रभारी अंकेक्षक- सहायक आयुक्त/अंकेक्षण अधिकारी)	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।	

श्रेणी - ख

संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म		योग्यता एवं अनुभव	संस्थाओं का विवरण
संपरीक्षक फर्म	1.पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. फर्म के वरिष्ठतम एफ.सी.ए. पार्टनर की फर्म से संबद्धता न्यूनतम 07 वर्ष होना अनिवार्य है। 2. फर्म में न्यूनतम 03 एफ.सी.ए./ए.सी.ए. अनन्य रूप से (Exclusively) पार्टनर होना चाहिये जिसमें से न्यूनतम 01 पार्टनर का एफ.सी.ए. होना आवश्यक है। 3. फर्म की अर्हता हेतु न्यूनतम 03 पार्टनर का फर्म से 02 वर्ष की संबद्धता होना अनिवार्य है। 4. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक एवं समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक। 2. 10 करोड़ से अधिक एवं 100 करोड़ तक का कारोबार (Business) करने वाली समस्त संस्थाएं।
संपरीक्षक	विभागीय अंकेक्षक (प्रभारी अंके., अंके.अधि./व.स.नि.)	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।	

श्रेणी -ग

संपरीक्षक का विवरण		योग्यता एवं अनुभव	संस्थाओं का विवरण
संपरीक्षक फर्म	1. पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. फर्म के वरिष्ठतम एफ.सी.ए. पार्टनर की फर्म से संबद्धता न्यूनतम 03 वर्ष होना अनिवार्य है। 2. फर्म में न्यूनतम 02 ए.सी.ए./एफ.सी.ए. फुलटाईम/अनन्य रूप से (Exclusively) पार्टनर होना चाहिये जिसमें न्यूनतम 01 पार्टनर का एफ.सी.ए. होना आवश्यक है। 3. फर्म की अर्हता हेतु न्यूनतम 02 पार्टनर का फर्म से 02 वर्ष की संबद्धता होना अनिवार्य है। 4. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक। 	10 करोड़ तक कारोबार (Business) करने वाली समस्त सहकारी संस्थाएं।
	2. प्रोपराईटरी फर्म (Proprietary Firm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो। 2. प्रोपराईटर का F.C.A. होना आवश्यक है। 3. प्रोपराईटर का अनन्य (Exclusively) होना आवश्यक है। 4. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक। 	
संपरीक्षक	सनदी लेखापाल (Individual Practising F.C.A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. सनदी लेखापाल अधिनियम 1949 के तहत सनदी लेखापाल जिसका मुख्यालय म.प्र. में हो। 2. सनदी लेखापाल संस्थान से पंजीयन दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि पूर्ण की गई हो। 3. Individual Practising F.C.A का अनन्य (Exclusively) होना आवश्यक है। 4. हिन्दी भाषा का ज्ञान आवश्यक। 	
	विभागीय अंकेक्षक (प्रभारी अंके.-अंके. अधि./व.स.नि./सह.निरी./उप अंके.)	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक।	

**संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्मों की पेनल वर्ष 2023-24 के लिये सामान्य
निर्देश एवं शर्तें**

परिशिष्ट-ब

1. संपरीक्षक / संपरीक्षक फर्मों की पेनल हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन प्रक्रिया से ही जमा किये जाएंगे।
2. आवेदन हेतु परिशिष्ट 'अ' , 'ब' एवं 'स' में दर्शित नियम एवं शर्तों के लिए अवधि की गणना 01.01.2024 की स्थिति पर की जावेगी तथा 01.01.2024 की स्थिति के अभिलेख प्राप्त न होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।
3. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों की वैधानिक संपरीक्षा के लिये संपरीक्षक/ संपरीक्षक फर्म को न्यूनतम 03 वर्ष का वाणिज्य बैंकों के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. किसी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षक फर्म द्वारा यदि म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक अथवा 38 जिला सहकारी बैंक में से किसी भी बैंक का वर्ष 2021-22 और 2022-23 का वैधानिक अंकेक्षण किया गया है, तो आगामी 02 वर्ष तक उक्त फर्म को किसी भी जिला सहकारी बैंक अथवा म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक का अंकेक्षण आवंटन नहीं किया जावेगा।
5. फर्म में न्यूनतम एक **DISA/CISA** प्रमाण पत्र धारी सनदी लेखापाल फुलटाईम-पार्टनर/पेड एम्पलाई चार्टर्ड एकाउन्टेड होना आवश्यक है। यदि फर्म का कोई चार्टर्ड एकाउन्टेड - पेड एम्पलाई सीसा/डीसा धारी है तो ऐसे कर्मचारी की न्यूनतम 02 वर्ष से फर्म से संबद्धता होना अनिवार्य है।
6. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक के आवेदन, फर्म के पंजीकृत मुख्यालय (फर्म कंस्टीयूशन सर्टिफिकेट/फर्म कार्ड) म.प्र. में होने पर ही स्वीकार्य होंगे।
7. फर्म की अर्हता का परीक्षण आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के साथ ही आई.सी.ए. आई. संस्थान से तथा अन्य नियामकों से प्राप्त अभिलेखों से किया जा सकेगा तथा अद्यतन स्थिति के आधार पर पात्रता तथा अपात्रता का निर्धारण किया जावेगा।

8. किसी सहकारी संस्था का ऑडिट आवंटन प्राप्त होने पर फर्म को निर्दिष्ट अर्हताओं एवं अन्य मापदंडों (फर्म के किसी पार्टनर एवं स्टॉफ की मृत्यु हो जाने की स्थितियों को छोड़कर) का पालन आवंटित संस्था के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पूर्ण होने तक करना अनिवार्य है। यदि फर्म की स्थापना में कोई परिवर्तन आता है तो अविलंब सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. किसी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म/(Individual C.A.) के पार्टनर अथवा पेड एम्पलाई अथवा प्रोफेशनल स्टॉफ के किसी अन्य फर्म में पार्टनर, पेड एम्पलाई अथवा एसोसिएट होने की स्थिति में उक्त फर्मों में से किसी एक फर्म का ही आवेदन स्वीकार होगा। जिस फर्म का आवेदन पहले प्राप्त होगा वही स्वीकार किया जावेगा तथा अन्य फर्मों के आवेदन निरस्त किये जावेंगे।
10. किसी संस्था से राशि रु 10000/- या उससे अधिक ऋण फर्म के किसी पार्टनर/पेड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/प्रोफेशनल स्टाफ को स्वीकृत किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त फर्म संबंधित संस्था के अंकेक्षण आवंटन हेतु अपात्र होगी।
11. संस्था में नियुक्त संचालक, सलाहकार या स्थायी अथवा संविदा के रूप में कार्यरत संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के अधिकारी/कर्मचारी उक्त संस्था की वैधानिक संपरीक्षा हेतु अपात्र होंगे।
12. नवीन आवेदकों (वर्ष 2022-23 की अनुमोदित सूची में सम्मिलित नहीं हैं) को पंजीयन शुल्क राशि रूपये 500/- शासकीय कोषालय की मद 0425-00-800-0000 सहकारिता, 800- अन्य प्राप्तियां में मध्यप्रदेश कोषालय के वेबपोर्टल WWW.MPTREASURY.ORG अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से जमा की जानी है।
13. आवेदन की जांच उपरान्त यदि आवेदित श्रेणी से निम्न श्रेणी की पात्रता आती है तो निम्न श्रेणी में अथवा अपात्र होने पर अपात्रता की श्रेणी में रखा जावेगा।
14. निर्धारित मापदंडों में फर्म में फुल टाइम/अनन्य (Exclusive) पार्टनर की गणना में ऐसे पार्टनर को सम्मिलित नहीं किया जाना है जो कि किसी अन्य फर्म में पार्टनर के रूप में अथवा कर्मचारी के रूप में संबद्ध है और पार्टनर की स्वयं के नाम से

अन्य कोई प्रोपराइटरी फर्म नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रोपराइटरी फर्म तथा Individual Practising F.C.A के आवेदक का भी अनन्य ना आवश्यक है।

15. संपरीक्षक फर्म को किसी शासकीय एजेंसी, एन.एफ.आर.ए.(NATIONAL FINANCIAL REPORTING AUTHORITY) चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान, आर.बी.आई. या अन्य वित्तीय नियामकों के द्वारा यदि कार्य करने से वंचित किया गया है तो ऐसी स्थिति में फर्म को पेनल में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
16. यदि सक्षम अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म द्वारा लेखा परीक्षा कार्य में नियम व प्रक्रिया विरुद्ध आचरण किया गया है तथा सोसायटी के क्रियाकलापों, अनियमितता, गबन, कपटपूर्ण आचरण को छुपाया गया है या छुपाने में सहायक रहा है तो उस संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म का नाम संबंधित पैनल से हटाते हुए स्थगन/निलम्बित/ब्लेक लिस्ट/निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को पेनल में से हटाने/निलंबित करने का रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद प्रकरण सुनवाई हेतु रजिस्ट्रार को निर्देशित होगा तथा सुनवाई उपरांत अंतिम निर्णय रजिस्ट्रार का होगा जो सर्वसंबंधितों को स्वीकार होगा।
17. वर्ष 2022-23 का वैधानिक अंकेक्षण आवंटन आदेश फर्म को प्राप्त होने पर यदि पूर्व में सहमति दिये जाने के उपरान्त किसी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के द्वारा प्रस्ताव अमान्य किया गया है तो उक्त फर्म को वरिष्ठता मापदण्ड में प्राप्त अंकों में से 10 अंकों की कमी की जावगी। यदि फर्म के द्वारा 02 वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में कोई अंकेक्षण आवंटन प्रस्ताव अमान्य किया है तब ऐसी स्थिति में उक्त फर्म को पेनल में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
18. यदि किसी फर्म की विगत वर्षों में अंकेक्षण कार्य असंतोषजनक पाया गया है तो फर्म के 10 प्रतिशत अंक कम किये जाएंगे, परन्तु असंतोषजनक कार्य के संबंध में फर्म को निर्गमन पत्र अथवा पृथक से सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
19. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962, संस्था की उपविधि, पंजीयक/आरबीआई/नाबार्ड तथा संस्था से

संबंधित अन्य प्रशासकीय/वैधानिक निर्दिष्ट व्यवस्था एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

20. संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में संस्था के समस्त कार्यकलापों का परीक्षण कर तथ्यात्मक टीप अंकेक्षण प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी।
21. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को पंजीयक द्वारा या उनके प्रतिनिधि द्वारा लेखा समिति तथा अन्य आमंत्रित बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुलाये जाने पर संबंधित फर्म को उपस्थित होना आवश्यक होगा।
22. किसी भी संस्था में अंकेक्षण कार्य के समय न्यूनतम 01 सनदी लेखापाल का उपस्थित होना अनिवार्य है। बैंक अंकेक्षण के लिये सीसा/डीसा धारी सनदी लेखापाल का होना आवश्यक है। प्राधिकृत संपरीक्षक एवं अधीनस्थ अमला अपनी पहचान के परिचय पत्र अंकेक्षण के दौरान अपने पास रखेंगे।
23. प्राधिकृत संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 87 के प्रावधान के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु लोक सेवक समझे जायेंगे।
24. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को संपरीक्षा प्रतिवेदन के अतिरिक्त गंभीर अनियमितताओं के संबंध में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (ख) के तहत विशेष प्रतिवेदन पंजीयक को पृथक से प्रस्तुत करना होगा।
25. सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी होने वाले अंकेक्षण आवंटन आदेश प्राप्त होने के 07 दिवस में संबंधित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को फर्म के मुख्यालयीन जिले के पंजीयक कार्यालय को संसूचित करना व उनके द्वारा लेखापरीक्षित सोसाइटियों की सूचना एवं रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
26. (1.) श्रेणी-क में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म श्रेणी-ख एवं ग में वर्गीकृत संस्थाओं का भी अंकेक्षण कर सकेंगी।
(2.) श्रेणी-ख में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म श्रेणी-ग में वर्गीकृत संस्थाओं का भी अंकेक्षण कर सकेंगी।

- (3.) श्रेणी-ग में सम्मिलित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म केवल श्रेणी-ग में वर्गीकृत संस्थाओं का ही अंकेक्षण कर सकेंगी।
- (4.) किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म को 01 वित्तीय वर्ष में 05 से अधिक संस्थाओं की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी। जिसमें 01 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अथवा म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक अधिकतम हो सकती है। (आर.बी.आई. के नवीन निर्देशों में 01 फर्म 01 वर्ष में अधिकतम 04 नागरिक बैंकों का अंकेक्षण कर सकती है) सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन होने पर अंकेक्षण आवंटन निरस्त करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
27. किसी संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को किसी संस्था की निरंतर दो वर्ष से अधिक वर्ष की संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी। शीर्ष बैंक एवं 38 जिला सहकारी बैंकों की संपरीक्षा के संबंध में कंडिका 04 अनुसार आवंटन की कार्रवाई की जावेगी। किसी सहकारी संस्था के आंतरिक / सतत् अंकेक्षक/सलाहकार को उसी संस्था की वैधानिक संपरीक्षा आवंटित नहीं की जावेगी।
28. अधिनियम की धारा 58(1) (ड) के तहत पंजीयक द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन परीक्षित किये जाने के पश्चात म.प्र. शासन की अधिसूचना में उल्लेखित दरों के आधार पर लेव्ही आदेश जारी होने के उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा।
29. म0प्र0 राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक 317 दिनांक 05.08.2015 के बिन्दु क्रमांक 15 में विहित कालावधि के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट के विलंब से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में, संपरीक्षक फर्म को देय पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से कटौती की जायेगी।
30. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम क्रमांक 50(15) के प्रावधान के तहत अंकेक्षण टीप एवं सहपत्र राजभाषा हिन्दी में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यदि पंजीयक द्वारा किसी वर्ग की संस्था के लिये कोई संपरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप जारी किया गया है तो उस प्रारूप में ही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रतिवेदन कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

31. अधिनियम की धारा 58 एवं नियम 50 (5 एवं 6) के तहत संपरीक्षा के संचालन प्रक्रिया के तहत संपरीक्षा कार्य की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक अधिकारिता जिला/संभाग/मुख्यालय के सक्षम अधिकारियों को दी गई है। सनदी लेखापाल फर्म/सनदी लेखापाल अंकेक्षण कार्य के लिये उक्त अधिकारिता के तहत निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
32. यदि किसी फर्म के विरुद्ध किसी भी नियामक के स्तर से कोई कार्रवाई की गई है अथवा प्रक्रियाधीन है तो ऐसी स्थिति में फर्म को ऐसी कार्रवाई के प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
33. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-58 तथा इसके साथ विरचित नियम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम-50 में जो भी परिवर्तन होते हैं, उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सनदी लेखापाल एवं सनदी लेखापाल फर्मों की पेनल(नागरिक सहकारी बैंकों को छोड़कर)वर्ष 2023-24 के लिये वरिष्ठता मापदंड परिशिष्ट - 'स'

मापदण्ड	अधिकतम अंक
1. पंजीयन की अवधि - आई.सी.ए.आई. संस्थान में पंजीबद्ध फर्म के वरिष्ठतम एफ.सी.ए. पार्टनर की संबद्धता दिनांक से प्रत्येक 01 वर्ष के लिए 01 अंक	10
2. फर्म के अनन्यरूप से पार्टनर जो फर्म के म0प्र0 स्थित जिला कार्यालय में कार्यरत है तथा न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि से फर्म से संबद्ध है। (एफ.सी.ए./ए.सी.ए.) प्रत्येक के लिये 02 अंक	10
3. अंकेक्षण का अनुभव	
1. म0प्र0 की शीर्ष बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के वैधानिक अंकेक्षण का अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिये -02 अंक	14
2. राष्ट्रीयकृत/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/म.प्र. की शीर्ष सहकारी संस्थायें/नागरिक सहकारी बैंक का अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिये -01 अंक	06
4. फर्म के म0प्र0 स्थित किसी कार्यालय में कार्यरत सीसा/डीसा प्रमाण पत्र रखने वाले पूर्णकालिक पार्टनर/सनदी लेखापाल सेवायुक्त (न्यूनतम 02 वर्ष की संबद्धता अनिवार्य) के लिये प्रत्येक के लिये 02 अंक	06
5. फर्म के मुख्यालय एवं शाखा कार्यालय के लिये	25
1. सोसायटी के मुख्यालय वाले जिले पर फर्म का मुख्यालय स्थित होने पर -25 अंक	
2. सोसायटी के मुख्यालय के जिले पर फर्म की शाखा होने पर 15 अंक	
3. सोसायटी का मुख्यालय जिले में है संभागीय जिलों में फर्म का मुख्यालय/शाखा स्थित होने पर - 10 अंक	

6. फर्म के अनन्य रूप से पार्टनर जो फर्म के मध्यप्रदेश स्थित किसी जिला कार्यालय में कार्यरत है, की फर्म से संबद्धता के लिये - 1. 15 वर्ष से अधिक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 05 अंक 2. 12 वर्ष से अधिक 15 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 04 अंक 3. 07 वर्ष से अधिक 12 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 03 अंक 4. 02 वर्ष से अधिक 07 वर्ष तक की संबद्धता वाले प्रत्येक अनन्य पार्टनर के लिये- 02 अंक	19
7. फर्म के स्टॉफ के लिये प्रत्येक सी0ए0 सेवायुक्त के लिए 01 अंक	05
8. आई.सी.ए.आई. संस्थान से फॉरेंसिक एकाउंटिंग एवं फ्राड प्रीवेंशनसर्टीफिकेशन होने पर प्रत्येक पार्टनर/सी.ए. एम्प्लॉई के लिए 01 अंक	05
योग	100
रिमार्क - 1	
रिमार्क - 2	
कुल योग	

रिमार्क :-

- गत वर्ष 2022-23 का वैधानिक अंकेक्षण आवंटन प्राप्त होने पर सहमति दिये जाने के उपरान्त भी किसी संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म के द्वारा प्रभाव अमान्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त फर्म को वरिष्ठता मापदण्ड में प्राप्तांक में से 10 अंको की कमी की जावेगी।
- यदि किसी फर्म की विगत वर्षों में अंकेक्षण कार्य असंतोषजनक पाया गया है तो फर्म के 10 प्रतिशत अंक कम किये जावे।